जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक / एफ / प्रशा / स्था / 2019 / 1195 दिनांक 25/01/19

/ / अधिसूचना / /

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के जारी परिपत्र कमांक : 5–1–2013–1–3, भोपाल, दिनांकः 03 मई, 2017 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के समस्त कुशल, अकुशल (स्थाईकर्मीयों) को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानानुसार उपरोक्त समस्त स्थाईकर्मीयों को निम्नानुसार अवकाश की पात्रता होगीः–

(1) कर्मचारी एक कैलेण्डर वर्ष में **तीन राष्ट्रीय अवकाश जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 02 अक्टूबर** के लिए पात्र होगा।

(2) उपरोक्त क्रमांक (1) में राष्ट्रीय अवकाशों के अतिरिक्त कर्मचारी **पॉच त्यौहार अवकाश के लिए पात्र होगा।** कर्मचारी शासकीय / ऐच्छिक / स्थानीय अवकाशों की सूची में से ऐसे अवकाशों को चुन सकेगा।

(3) उपरोक्त क्रमांक (1) और (2) में उल्लेखित अवकाशों के अतिरिक्त कर्मचारी एक कैलेण्डर वर्ष में **सात दिन के आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा।** सामान्य मामलों में कर्मचारी दो दिन से अधिक के लगातार आकस्मिक अवकाश का पात्र नहीं होगा।

(4) **महिला कर्मचारी शासन की नीति के अनुसार मातृत्व अवकाश की पात्र होगी।**

(5) उपरोक्त क्रमांक (1),(2),(3) और (4) में उल्लिखित अवकाशों और छुट्टियों के अतिरिक्त कर्मचारी **रविवार को साप्ताहिक अवकाश का भी पात्र होगा।** आपातकालीन परिस्थितियों में यदि साप्ताहिक अवकाश के दिन काम लिया गया है तो उसके बदले में अगले सप्ताह में अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. विभागाध्यक्ष, निदेशक, समन्वयक, समस्त अध्ययनशालायें तथा समस्त अधिकारी जी.वि.वि. ग्वालियर की ओर इस आशय के साथ कि, वे उपरोक्त अवकाश नियमों से अपने अधीनस्थ स्थाईकर्मीयों को अवगत करायें।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।

सहा0 कुलसचिव (प्रशासन)